न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 39 / 18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मांगी बाई पत्नी डालू जाति कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीराम पिता उदा जाति कुमावत निवासी नंगपुरा थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. बालु पिता डालू जाति कुमावत निवासी नंगपुरा थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. भागचंद पिता कालुराम जाति कुमावत निवासी गाडरीखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 01.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प थला मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो कि कृषि आराजियात ग्राम थला पटवार हल्का थला के बेरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 444 में अंकित आराजी संख्या 343 रकबा 0.47 है0 आ.सं. 344 रकबा 0.18 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.65 है0 भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीया की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थीया को अपनी कृषि आराजियात में मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आए दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है, तथा विपक्षीगण आए दिन प्रार्थीया कि कृषि आराजियात मे दखल अंदाजी करते रहते हैं। प्रार्थीया ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया परंतु विपक्षीगण नही मान रहै है। जिससे प्रार्थीया की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा पंरतु विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत् दिनांक 09.05.2018 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 11.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस

प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम थला पटवार हल्का थला के बेरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 444 में अंकित आराजी संख्या 343 रकबा 0.47 है0 आ.सं. 344 रकबा 0.18 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.65 है0 भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 300/– अक्षरे तीन सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा